



जिला गजट
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

असाधारण अंक सं० 85

धनबाद, सोमवार

21 सितम्बर 2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- घोषालडीह, थाना- टुण्डी, थाना सं०-280, अंचल- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना (ए०डी०बी० सम्पोषित गोविन्दपुर -जामताड़ा -साहेबगंज पथ परियोजना पैकेज- 01) हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-घोषालडीह, थाना-टुण्डी, थाना सं०-280, अंचल-पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.19 एकड़ यानि 0.077 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधिन है.....

क सं	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं० (प्लॉट सं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध रैयत का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	17	26	रैयती	गोड़ा तीन	0.19	खोखा मंडल पि० सोखा मंडल सा० वामनडीह	ग्रामीण सीमा रेखा ग्राम मोहलीह मौजा नं०-274	जोड़िया	आंशिक सर्वे प्लॉट सं० 26 एवं सम्पूर्ण सर्वे प्लॉट सं०-27	आंशिक सर्वे प्लॉट सं० -26

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा- 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन- छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालक करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवमार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।